जिला कलेक्टर 88/17

A2

अपील सूचना अधिकार संख्या 88/2017 अनवानी श्री घनश्यामदास नागपाल एडवोकेट निवासी 8 सी–8 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27–12–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री घनश्यामदास नागपाल एडवोकेट उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ. का प्रतिवेदन संख्या 1254 दिनांक 22.12.2017 शामिल पत्रावली किया गया। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी श्री धनश्यामदास नागपाल एडवोकेट का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 27.09.2017 के आवेदन पत्र के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ से उनके न्यायालय की पत्रावली संख्या 82/2000 निर्मलादेवी बनाम सरकार निर्णय दिनांक 25.08.2000 से संबंधित सूचना चाही गई थी जो उनके द्वारा उपलब्ध न करवाई जाकर बल्कि उसका आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी जिला अभिलेखागार सूरतगढ को भिजवा दिया गया। उपखण्ड अधिकारी जिला अभिलेखागार सूरतगढ द्वारा दिनांक 10.11.17 के पत्र से सूचना देने से ईन्कार कर दिया है जो विधि सम्मत नही है क्योंकि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जिस प्रकार से अभिलेख उपलब्ध है उसी प्रकार से सूचना उपलब्ध करवाई जा सकती है। इसलिए उसकी अपील स्वीकार की जाकर प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को निदेशित किया जावे कि वांछित सूचनांए उपलब्ध करवाई जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री घनश्याम दास नागपाल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 27.09.2017 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ से निम्न सूचना चाही थीः–

> पत्रावली (नियमन) निर्मलादेवी पत्नि सुन्दर सिंह निवासी अनूपगढ़ संख्या 82/2000 में लगे दस्तावेज 1–मूल निवास 3.3.86 2–वोटर लिस्ट 1977 अनूपगढ 3–निर्णय दिनांक 29.5.97 4–राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा सदस्य धर्मसिंह एस.बी. दिनांक 30.6.97 निर्णय की प्रति उतमाराम बनाम निर्मलादेवी जो पत्रावली के सलंग्न है।
>
> उक्त सभी की प्रमाणित प्रतियां दिलवांए। अगर प्रमाणित करना संभव न हो तो बिना प्रमाणित किए भिजवांए।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने अपना प्रतिवेदन संख्या 1254 दिनांक 22.12.2017 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी श्री घनश्याम दास नागपाल का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 04.10.2017 को प्राप्त हुआ था। जिसके क्रम में उनके द्वारा प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जिला अभिलेखागार सूरतगढ़ को पत्र सं0 900 दिनांक 13.10.2017 के द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने के लिए भिजवा दिया गया और अपने कार्यालय की संबंधित पत्रावली भी जिसकी सूचना चाही गई है वह भी पत्र सं0 840 दिनांक 04.10.2017 के द्वारा रिकार्ड में जमा करवाई गई है। इस प्रकार प्रार्थी के आवेदन पत्र का समय अवधि में निस्तारण कर दिया गया था।

प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपने पत्र सं0 514 दिनांक 10.11.2017 से अपीलार्थी को सूचनांओ की संबंध में निम्न प्रकार से सूचित किया गया है:–

> उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके द्वारा अपने आवेदन पत्र में अंकित श्रीमान गंगानगर सूरतगढ के प्रकरण संख्या 82/2000 निर्णय दिनांक 25.08.2000 अनवान निर्मला देवी बनाम सरकार में आपके द्वारा चाहे गये दस्तावेज मूल निवासी प्रमाण पत्र दिनांक 03.03.1986, निर्वाचन नामावली 1977 व राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 29.05.1977 की मूल प्रति प्रतियों पत्रावली में उपलब्ध नही है। मूल निवासी प्रमाण पत्र व निर्वाचन नामावली की चित्र प्रतियों फोटो स्टेट एवं निर्णय दिनांक 29.05.1977 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध है। सभी दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतियों नियमानुसार देय नही है। सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के तहत कोई भी लोक दस्तावेज जिस प्रकार से लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध है उसी रूप में उसकी सूचना उपलब्ध करवाई जानी है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना में पत्रावली में उपलब्ध मूल निवास प्रमाण पत्र 03.03.86, वोटर लिस्ट 1977 अनूपगढ़, राजस्व मण्डल के निर्णय की सूचना चाही है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना बिन्दु सं0 1–मूल निवास प्रमाण पत्र जो कि अपीलार्थी ने तृतीय पक्ष से संबंधित होना बताया है ऐसी सूचना संबंधित व्यक्ति की सहमति से ही नियमानुसार दी जा सकती है और बिन्दु सं0 2–वोटर लिस्ट 1977 अनूपगढ एवं बिन्दु सं0 3 और 4 जो न्यायालयों के निर्णय है, वे प्रमाणित या अप्रमाणित जिस रूप में उपलब्ध है उसी रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जारी किये जा सकते है। **ऐसी दशा में प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को आदेश दिया जाता है कि बिन्दु सं0 2 से 4 की सूचना जिस रूप में उपलब्ध है उसी रूप में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जारी करने का नोट अंकित कर जारी की जावे और बिन्दु सं0 1 की सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण सूचना से संबंधित व्यक्ति को सुनकर उसकी सहमति अथवा असहमति के आधार पर निस्तारण किया जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर